भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1601
(02 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आपदाग्रस्त व्यक्तियों का पीएमएवाई में समावेशन

1601. श्री रविंद्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ऐसी योजना शुरू करने का विचार है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची में प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त व्यक्तियों को शामिल करने के लिए प्रावधान हों;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित कदम क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): सरकार वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची में प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त व्यक्तियों को शामिल करने के लिए कोई अलग योजना शुरू करने का विचार नहीं कर रही है।

तथापि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण-(पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत, विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार से प्राप्त हुए प्रस्तावों का वित्त पोषण करने के लिए वार्षिक केंद्रीय आवंटन का 5 प्रतिशत केंद्रीय सरकार के स्तर पर आरक्षित निधि के रूप में रखा जाता है। विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावों में उन परिवारों का पुनर्वास/पुन:स्थापन शामिल है जिनके मकान प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूर्ण रूप से/काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। विशेष परियोनाओं के अंतर्गत निर्धारित किए गए लाभार्थी केवल वे परिवार होते हैं जो पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल होते हैं।